न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 47 / 2017 / जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 68 / 2013 बनवान आड़ताराम उर्फ आडतिया बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2014 ।

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़ ।

बनाम

1.आड़ताराम पुत्र चुनाराम के कायम मुकामः–
1/1 ढेली पुत्री आड़ताराम पत्नी मुकनाराम
1/2मती पुत्री आड़ताराम पत्नी पाराराम
1/3सुरमा पुत्री आड़ताराम पत्नी भूराराम
1/4धाई पुत्री आड़ताराम पुत्र
1/5धीया पुत्री आड़ताराम पत्नी मालाराम
1/6ढेली पत्नी आड़ताराम
1/7ताराराम पुत्र आड़ताराम
1/8राजाराम पुत्र आड़ताराम
1/9छगनराम पुत्र आड़ताराम
1/10देवाराम पुत्र आड़ताराम के कायम मुकामः–1/10/1सरसो पत्नी देवाराम
1/10/2कालूराम पुत्र देवाराम
2.खुमाणाराम उर्फ खुमा पुत्र चुनाराम
3. भगवानाराम उर्फ भुगलिया उर्फ भगोड़ा पुत्र चुनाराम
4.श्रीमती मौनु पत्नी महेन्द्राराम उर्फ मेदरीया
5.दलपतराम पुत्र महेन्द्राराम उर्फ मेदरीया
6.श्रीमती अणची पत्नी स्व0 बरजांगराम
7.गोपाराम पुत्र स्व0 बरजांगराम
8.महेशाराम पुत्र स्व0 बरजांगराम
9.रमेश पुत्र स्व0 बरजांगराम
10.कमल पुत्र स्व0 बरजांगराम क्रम सं.7 ता 10 नाबालिंगान जरिये नेक्स्ट फ्रैण्ड कुदरती वलिया माता वादीनी सं06 श्रीमती अणची पत्नी स्व0 बरजांगराम सर्वे जातियान मेघवाल(भाम्भी) निवासीयान ग्राम मोढा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री विमलेश कुमार पुरोहित रेस्पोडेण्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

निर्णय

Scanned by CamScanner

दिनांकः— 14.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम तोगा के खसरा नम्बर 115 रकबा 19 बीघा 13, खसरा संख्या 116 रकबा 10.11 बीघा, खसरा संख्या 117 रकबा 12.14 बीघा, खसरा संख्या 240 रकबा 05.07 बीघा, खसरा संख्या 260 रकबा 86.11 बीघा, खसरा संख्या 261 रकबा 15.19 बीघा, खसरा संख्या 264 रकबा 04.04 बीघा, खसरा संख्या 265 रकबा 06 बीघा व खसरा संख्या 266 रकबा 10.18 बीघा कुल रकबा 171.17 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 09.07.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण के कब्जे काश्त में वक्त समरी सेटलमेंट से यह भूमि होने से ग्राम तोगा का समरी खसरा संख्या 79 रकबा 115 बीघा व खसरा संख्या 80 रकबा 115 बीघा उनके नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी में दर्ज हुई। सैटलमेंट के रेकार्ड में रेस्पोडेंट/वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त भूमि खसरा संख्या 115,116,117,240, 260 से 267 कुल रकबा 432.12 बीघा रेस्पोडेंट/वादीगण की खातेदारी दर्ज कर दी गई। लेकिन सेटलमेंट वालो ने गलत मनमाने व बदयन्ती पूर्वक तरीके से खसरा संख्या 115,116,117,240,260,261,264,265 व 266 की भूमि रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी। बाद में कुछ भूमि रेस्पोडेंट/वादीगण को आंवटित कर दी गई। आवंटित से शैष रही भूमि सिवायचक रही। जिसका भू–प्रबंध विभाग को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था।

वकील रेस्पोडेंट ने आगे बताया कि तहसीलदार फतेहगढ़ ने सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के निर्णय दिनांक 09.07.2014 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 3 साल बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट ने अपील को देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। प्रार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रेस्पोडेंटस को कुछ भूमि आवंटित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वाद में नियमित साक्ष्य/सुनवाई के दौरान उतरदातागण में से किन–किन को इससे पूर्व भूमिहीन होने के कारण कितनी–कितनी राजकी सिवायचक भूमि का आवंटन हुआ है, जो वादग्रस्त भूमि का उनके पक्ष में

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

घोषण/खातेदारी नहीं मिलने के फलस्वरूप उन्हे मिली है का आंकलन नहीं किया है। अपीलाधीन वाद में अपीलांटवार घोषित हिस्से में से पूर्व में उन्हें नियमानुसार आवंटित भूमि कम की जानी चाहिए थी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2013 बअनवान आड़ताराम वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2014 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायायल उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को दृष्टिगत रखते हए वाद की पुनः सुनवाई कर अपीलांटवार आवंटित सिवायचक भूमि जिसकी खातेदारी उन्हे मिल चूकी है, को उसके हिस्से में से कम करते हुए उसके हिस्से की तदनुसार घोषणा कर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

14/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 14.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner